



छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), रायपुर

प्रकरण क्रमांक—M-PRO-2019-00868

— समक्ष —

श्री विवेक ढाँड, अध्यक्ष,
श्री नरेन्द्र कुमार असवाल, सदस्य,
श्री राजीव कुमार टम्टा, सदस्य,

श्रीमती इन्द्रावती द्विवेदी, द्वारा—श्री कृष्णकांत मिश्रा,
निवासी—न्यू आदर्श नगर, मेटल पार्क,
वार्ड नं.—9, आर.पी.एस. स्कूल,
बीरगांव, रायपुर (छ.ग.)

.....

आवेदिका

विरुद्ध

वात्सल्य बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स प्रा. लि.,
द्वारा—डायरेक्टर श्री प्रफुल्ल पुरुषोत्तम राव गड़गे,
निवासी— 201, गणेश चेम्बर, द्वितीय तल,
मेहदिया चौक, यशवंत हास्पिटल के सामने,
धनटोली, नागपुर (महाराष्ट्र)

.....

अनावेदक

(प्रोजेक्ट—“वात्सल्य गौरव-2”, मुजगहन, सेजबहार रायपुर)

आदेश

(दिनांक—20 / 05 / 2020)

आवेदिका श्रीमती इन्द्रावती द्विवेदी, द्वारा—श्री कृष्णकांत मिश्रा, निवासी—न्यू आदर्श नगर, मेटल पार्क, वार्ड नं.—9, आर.पी.एस. स्कूल, बीरगांव, रायपुर (छ.ग.)के द्वारा भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 31 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप-ड (FORM-M) में अनावेदक के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत की गई है। आवेदिका का कथन है कि उसने अनावेदक के प्रोजेक्ट “वात्सल्य गौरव-2” सेजबहार, रायपुर में प्लॉट क्रमांक—217, कुल विक्रय मूल्य 9,90,000/—, को रूपये तीन लाख भुगतान कर दिनांक 30.01.2013 को अनुबंध निष्पादित किया गया। आवेदिका ने 5 किशतों में कुल रूपये 5,25,000/— का भुगतान दिनांक 12.04.2014 तक अनावेदक को किया है। इसके पश्चात् अनावेदक द्वारा प्लॉट नं—217 को परिवर्तित कर आवेदिका को प्लॉट नं—122 आबंटित कर दिया है। परन्तु अनावेदक द्वारा आज दिनांक तक कोई भी विकास कार्य नहीं किया है और इस संबंध में अनावेदक से बात करने पर कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। अनावेदक ने ना तो इकरारनामा अनुसार प्रश्नाधीन प्लॉट को विकसित किया

और ना ही आवेदिका के नाम दर्ज किया है। अतः आवेदिका ने भुगतान की गई राशि ब्याज सहित वापस दिलाये जाने तथा मानसिक क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदक को उक्त शिकायत के संबंध में प्राधिकरण के समक्ष जवाब प्रस्तुत करने एवं अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने बाबत् रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित कर सूचित किया गया। उन्हें ई-मेल के द्वारा भी नोटिस एवं दस्तावेज प्रेषित किये गये।
3. अनावेदक द्वारा अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया। अनावेदक ने जवाब में स्वीकार किया है कि उनकी कंपनी द्वारा प्रश्नाधीन प्लॉट हेतु आवेदिका से राशि रूपये 5,25,000/- प्राप्त कर उन्हें समुचित रसीदें जारी की गई थीं। अनावेदक के अनुसार आवेदिका की सहमति से स्वीकृत ले-आउट अनुसार उसके प्लॉट में परिवर्तन हुआ है। अनावेदक का कथन है कि प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट हेतु प्रस्तावित भूमि के मूल भू-स्वामी व उसके मध्य अनुबंध निष्पादित हुआ था। उक्त अनुबंध में मूल भू-स्वामी द्वारा अनावेदक को प्रदत्त अधिकारिता के तहत ही, उनके द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट के भू-खण्डों की बुकिंग कर संभावित क्रेताओं से राशि प्राप्त की गई थी। कालांतर में प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट की प्रस्तावित भूमि के मूल भू-स्वामी "मेसर्स सिल्वर डेव्हलपर्स" के साथ अनावेदक का विवाद होने के कारण, उनके मध्य का वाद वर्तमान में माननीय मध्यस्थम न्यायालय, श्री विजय श्रीवास्तव जी के समक्ष विचाराधीन है। अनावेदकगण के अनुसार आवेदिका को इस संबंध में पूर्व से जानकारी है, इसलिये आवेदिका भुगतान की गई राशि ब्याज सहित वापस प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अनावेदक उक्त विवाद के निराकरण उपरांत सभी संभावित आबंटितियों के पक्ष में रजिस्ट्री बैनामा निष्पादन करने हेतु भी तैयार है।
4. प्रकरण में उभय पक्षों द्वारा अपने-अपने पक्ष के समर्थन में दस्तावेज और सुसंगत तर्क प्रस्तुत किये गये। आवेदिका के आवेदन, अनावेदक के जवाब, उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के परिशीलन तथा उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन करने उपरांत प्रकरण में निम्न विचारणीय बिन्दु उत्पन्न होते हैं :-
 1. क्या प्रस्तावित भूमि के मूल भू-स्वामी के साथ भूमि विवाद होने के कारण इससे होने वाली हानि/विलंब के लिए अनावेदकगण जिम्मेदार हैं ?
 2. क्या प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट अनुबंध में वर्णित समयावधि में पूर्ण हो गया था ? यदि नहीं, तो क्या आवेदिका, अनावेदकगण से समुचित ब्याज/प्रतिकर की हकदार है ? यदि हाँ, तो उसकी राशि क्या होगी ?

5. **विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 :-** प्रकरण में यह अविवादित तथ्य है कि उभय पक्षों के मध्य निष्पादित इकरारनामा अनुसार अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट के संपूर्ण विकास कार्यों को पूर्ण करना था। प्रकरण में अपने जवाब व तर्क में अनावेदक ने स्वयं स्वीकार किया कि प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट हेतु प्रस्तावित भूमि के मूल भू-स्वामी "मेसर्स सिल्वर डेव्हलपर्स" के साथ भूमि संबंधी विवाद के कारण स्थल पर विकास कार्य नहीं किया जा सका है। अनावेदक और "मेसर्स सिल्वर डेव्हलपर्स" के मध्य का वाद वर्तमान में माननीय मध्यस्थ न्यायालय, श्री विजय श्रीवास्तव जी के समक्ष विचाराधीन है। इस प्रकार प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में अनावेदक द्वारा विकास कार्य नहीं किये गये हैं। अनावेदक द्वारा प्रकरण की सुनवाई के दौरान "मेसर्स सिल्वर डेव्हलपर्स" को भी पक्षकार बनाने आवेदन प्रस्तुत किया गया। चूँकि आवेदिका ने विक्रय राशि का भुगतान अनावेदक को करते हुये प्रश्नाधीन सौदा अनावेदक से किया है तथा अनावेदक व सिल्वर डेव्हलपर्स के मध्य निष्पादित विक्रय इकरारनामा की कंडिका-12 में स्पष्ट उल्लेखित है कि अनावेदक द्वारा अन्य पक्षों से किये गये संब्यवहार, सिल्वर डेव्हलपर्स हेतु बंधनकारी नहीं है। इसलिये मेसर्स सिल्वर डेव्हलपर्स को पक्षकार बनाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अनावेदक एवं मूल भू-स्वामी "मेसर्स सिल्वर डेव्हलपर्स" के मध्य भूमि के संबंध में उत्पन्न विवाद का खामियाजा किसी भी दशा में आवेदिका को नहीं भुगतना चाहिये। जब अनावेदक एवं "मेसर्स सिल्वर डेव्हलपर्स" के मध्य भूमि के संबंध में विवाद उद्भूत हुआ, तो अनावेदक को किसी भी आबंटिती से भू-खण्ड हेतु कोई राशि प्राप्त नहीं करनी थी और जो राशि उनके द्वारा आबंटितियों से पूर्व में ही प्राप्त की जा चुकी थी, वह संबंधितों की मांग पर अविलंब लौटा दी जानी थी। यह कदापि न्यायसंगत नहीं है कि अनावेदक एवं मूल भू-स्वामी के मध्य के वाद के निराकरण तक, आबंटितियों की राशि लंबे समय तक अनावश्यक रूप से अनावेदक के पास रहे। प्रश्नाधीन प्रकरण में अनावेदक द्वारा 24 माह के भीतर अर्थात् 29.01.2015 तक संपूर्ण विकास कार्य करते हुए प्रश्नाधीन प्लॉट का आधिपत्य आवेदिका को सौंपना था। अर्थात् प्रश्नाधीन प्रकरण में विकास कार्य न किए जाने के बावजूद आवेदिका द्वारा लगभग 5 वर्ष 3 माह का धैर्य रखा गया है। विकास कार्य न किए जाने की दशा में इतनी लंबी अवधि तक किसी भी आबंटिती की राशि किसी प्रमोटर द्वारा अनावश्यक रूप से रखा जाना न्यायोचित नहीं है। भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 18 (2) में यह स्पष्ट वर्णित है कि "प्रमोटर दोषपूर्ण हक के कारण किसी हानि की दशा में, आबंटितियों की प्रतिपूर्ति करेगा।" निष्कर्षतः यह स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में हुए विलंब से, आबंटिती/आवेदिका को होने वाली हानि के लिए अनावेदक ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

6. **विचारणीय बिन्दु क्रमांक-2 :-** यह स्वीकृत तथ्य है कि अनावेदक एवं मूल भू-स्वामी "मेसर्स सिल्वर डेव्हलपर्स" के मध्य भूमि संबंधी विवाद के कारण प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में विकास कार्य नहीं किया जा सका है। चूँकि आवेदिका द्वारा लगातार वर्ष 2013 से भुगतान की गई राशि वापस करने की मांग की जा रही है। किंतु अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में अब तक विकास कार्य पूर्ण नहीं किये गये हैं और ना ही आवेदिका को राशि वापस की गई है। अनावेदक द्वारा, आवेदिका को भुगतान की गई राशि वापस करने में अब तक लगभग 5 वर्ष 3 माह का विलंब किया जाना प्रमाणित होता है। अतः आवेदिका भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 में वर्णित प्रावधानों के तहत विलंबित अवधि के ब्याज सहित उसके द्वारा भुगतान की गई संपूर्ण राशि वापस प्राप्त करने की हकदार है।
7. भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के नियम 17 के अनुसार "प्रमोटर द्वारा आबंटिती को देय ब्याज की दर, भारतीय स्टेट बैंक की ऋणदाता दर की उच्चतम मार्जिनल लागत प्लस दो प्रतिशत होगी।" इसके अनुसार प्रश्नाधीन प्रकरण में 5 वर्ष 3 माह की विलंबित अवधि हेतु भारतीय स्टेट बैंक की दिनांक 10.05.2020 से प्रभावशील दरों के अनुसार देय ब्याज की दर $7.55\% + 2\% = 9.55\%$ होगी। अर्थात् अधिनियम की धारा 18 व सहपठित नियम 17 के अनुसार आवेदिका द्वारा भुगतान की गई कुल राशि रुपये 5,25,000/- मात्र (अक्षरी राशि-पांच लाख पच्चीस हजार मात्र) के साथ उस पर उक्त दर से 5 वर्ष 3 माह की विलंबित अवधि हेतु ब्याज राशि रुपये 2,63,220/- की हकदार है।
8. उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्राधिकरण द्वारा आवेदिका का आवेदन स्वीकार करते हुए अनावेदक के विरुद्ध निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है:-
1. आवेदिका के द्वारा अनावेदक को भुगतान की गई राशि रुपये 5,25,000/- मात्र तथा उस पर संगणित ब्याज की राशि रुपये 2,63,220/- अर्थात् कुल राशि रुपये 7,88,220/- (अक्षरी राशि-सात लाख अठ्यासी हजार दौ सौ बीस मात्र) का भुगतान अनावेदक, आवेदिका को दो माह के भीतर करना सुनिश्चित करे।

सही / -
(नरेन्द्र कुमार असवाल)
सदस्य

सही / -
(राजीव कुमार टम्टा)
सदस्य

सही / -
(विवेक ढाँड)
अध्यक्ष